न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-182RAAJodhpur2023-76RTA225 Jamaldeen Vs Musekhan etc

01. जमालदीन बनाम इलमदीन जाति मुसलमान, निवासी- ग्राम देदासरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. मुसे खां पुत्र इलमदीन
02. साले मोहम्मद पुत्र इलमदीन, जातियान् मुसलमान, निवासीगण- ग्राम देदासरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

प्रफोर्मा पक्षकार

03. शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक शाखा ग्राम सिहड़ा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 17 जनवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2022 मुसे खॉ व अन्य बनाम जमालदीन इत्यादि

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 31 जुलाई 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2022 अनवान मुसे खॉ व अन्य बनाम जमालदीन इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 जनवरी 2022 के खिलाफ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 18 अप्रैल 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 261 रकबा 23.6498 हैक्टैयर{वर्तमान ग्राम इस्माईल की ढाणी}, खसरा नं. 268 रकबा 8.2637 हैक्टेयर, खसरा नं. 335 रकबा 16.8592 हैक्टेयर, खसरा नं. 338 रकबा 2.1125 हैक्टेयर{ ख.न. 335 व 338 वर्तमान ग्राम निजामदीन की बस्ती}, खसरा नं. 201 रकबा 2.1772 हैक्टेयर ग्राम देदासरी तहसील बाप के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। विचारण न्यायालय मे गलत तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादीगण का कोई प्रथमदृष्टया केस नहीं है, वादग्रस्त आराजी वर्तमान में मृत व्यक्ति इलमदीन के नाम चली आ रही है तथा वादी के स्वयं के वाद पत्र के अनुसार इलमदीन फौत हो चुके है, इस कारण उनके विरासतन का नामांतरकरण स्वीकृत होना है तथा विरासत का नामांतरकरण प्रथम श्रेणी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के वारिसों के नाम स्वीकृत होना है, जिसको रुकवाने के दुराशय से प्रत्यर्थी संख्या एक व दो द्वारा विचारण न्यायालय में वाद पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा दी। मुस्लिम विधि अनुसार कोई खातेदार अपने 1/3 हिस्से से ज्यादा कानूनन वसीयत कर ही नहीं सकता। इस कारण प्रत्यर्थी संख्या एक व दो द्वारा यह कहना गलत है कि हमारे पक्ष में वसीयत है। यह कानून सम्मत नहीं है तथा न ही वसीयत को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आधार माना जा सकता। वसीयत की जांच धारा 135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में तहसीलदार ही कर सकता है जो वर्तमान में तहसीलदार बाप द्वारा वसीयत के प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है। इस कारण इस प्रकरण में दो कार्यवाही नहीं चल सकती। विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के विवादग्रस्त भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 से 3 के अनुसार एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा को तीस दिनों में निस्तारण करने क आज्ञापक प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के जवाब देने के उपरांत धारा 212 के प्रार्थना पत्र का आज दिन तक निस्तारण नहीं किया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश इसी बिनाय पर निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थी के जवाब देने के उपरांत केवल प्रफोर्मा पक्षकार बैंक व भूमिधारी तहसीलदार है, जिनका किसी प्रकार से हित प्रभावित नही होता है। इस कारण प्रभावी प्रक्षकारों का जवाब आने के उपरांत धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जाना आदेश 39 की मंशा के विपरीत है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा नोटिस मिलने पर दिनांक 16.01.2022 को वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर दिया, फिर भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 के प्रार्थना पत्र का आज दिन तक निस्तारण नही किया गया। इस कारण अपीलांट्स के पास कोई विकल्प नहीं होने पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जनवरी 2022 को निरस्त किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो ने निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के पिता ने वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के पक्ष में वसीयत कर दी है। रेस्पोडेंट्स द्वारा वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचारण न्यायलय के समक्ष पेश किया जो वर्तमान में विचाराधीन है। न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिका दिनांक 20.04.2023 के जरिये अपीलांट को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराचोही करने के निर्देश दिये है, जिसकी पालना में अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के विचारण के दौरान वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया हैं। जहां तक तहसीलदार द्वारा वसीयत के संबंध में पारित आदेश का प्रश्न है, उक्त आदेश की अपील रेस्पोडेंट्स द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की है जो पोषणीय नहीं है तथा अपीलांट्स द्वारा अपील विलंब से पेश करने का भी कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुने बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास जाहिर करते हुए म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी वर्तमान में अपीलांट्स के पिता इलमदीन पुत्र खुदाबक्श उर्फ खुदुखां के नाम से दर्ज है जो उभय पक्ष के कथनानुसार फौत हो चुके है। <u>प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स</u> द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित वसीयत नामा दिनांक 21.11.2015 के आधार पर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत दावा विचारण न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बाप के निर्णय दिनांक 20.06.2023 की प्रति के मुताबिक <u>प्रार्थीगण/रेस्पो.</u> द्वारा तहसीलदार बाप के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपंजीबद्ध वसीयतनामा के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत करवाने बाबत पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 20.06.2023 को मुस्लिम विधि के अनुसार वसीयत प्रकरण का निर्णय किया चा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध मुस्लिम विधि के नियम 192-193 के मुताबिक ''संपूर्ण सम्पति के केवल 1/3 भाग की ही वसीयत की जा सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते हैं। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

चूंकि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण होना शेष हैं। अपीलांट्स द्वारा अपना जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है। लिहाजा मामला विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 जनवरी 2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष एक दूसरे के कब्जे-काश्त में दखलंदाजी नहीं करे तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.07.2023

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर